



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15924

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 45184/2025

परशुराम

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: सच्चिदानंद ओझा, विकास श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, ओम शंकर मिश्रा

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. पक्षकारों के अधिवक्ताओं के बीच यह स्वीकार किया गया है कि विवादित आदेश के विरुद्ध, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 207 के तहत प्रावधानित वैधानिक अपील याची द्वारा पहले ही आयुक्त, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज के न्यायालय में दायर की जा चुकी है।
2. इस तथ्य को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका को 'बल न देने' के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की गई है।
3. तदनुसार, रिट याचिका 'बल न देने' के आधार पर खारिज की जाती है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

22 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"